प्रेस नोट

जनपद कानपुर देहात
दिनांक- 12.08.2025

❖ **पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री अरविन्द मिश्र द्वारा पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में सभी राजपत्रित अधिकारियों, थाना/शाखा प्रभारियों के साथ अपराध गोष्ठी कर अपराध नियंत्रण/कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।**

आज दिनांक 12.08.2025 को पुलिस लाइन सभागार कक्ष में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री अरविन्द मिश्र द्वारा मासिक अपराध गोष्ठी कर कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गयी। इस गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक सहित जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारी, थाना/शाखा/चौकी प्रभारी, यातायात प्रभारी एवं अन्य पुलिस कर्मी उपस्थित रहे तथा गोष्ठी में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण, गैंगस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, महिला सम्बन्धी अपराधों एवं बच्चों के प्रति अपराधों पर विशेष ध्यान दिया गया साथ ही निरोधात्मक कार्यवाही की मासिक समीक्षा व प्रगतिशील सूचना के संबंध में दिशा निर्देश दिये गये।

गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी व आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये -

1. पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पिछले माह की अपराध स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई एवं गंभीर अपराधों जैसे डकैती, लूट, चोरी, महिला अपराध, और साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान दिया गया तथा इन अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जाये।
2. लंबित प्रकरणों और विवेचनाओं का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारित करने के निर्देश दिए गए।
3. महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाने, पॉक्सो एक्ट के तहत त्वरित कार्रवाई, और महिला हेल्पलाइन की सक्रियता बढ़ाने पर बल दिया गया। थानों पर नियुक्त एन्टी रोमियो टीम द्वारा प्रतिदिन अपने-अपने थाना क्षेत्रों में पडने वाले स्कूल/कॉलेजों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जाकर महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक किया जाये एवं बेवजह घूमने वाले लडकों को चेतावनी दी जाये तथा आवश्यक कार्यवाही की जाये।
4. साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए जागरूकता अभियान चलाकर आम-जनमानस को जागरूक करने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया।
5. यातायात नियमों का उल्लंघन रोकने, अवैध पार्किंग, और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने हेतु प्रभावी कदम उठाने के लिए यातायात प्रभारी को निर्देशित किया गया।
6. आई0जी0आर0एस/जनसुनवाई प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की स्थिति तथा फीडबैक (संतोषजनक / असंतोषजनक) के संबंध में समीक्षा की गई एवं थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि थाना स्तर पर आईजीआरएस सम्बन्धी कार्य के लिये नियुक्त कर्मचारियों द्वारा शिकायतकर्ता से वार्ता कर उसकी फीडबैक ली जाये एवं शिकायतकर्ता की शिकायत के अनुसार गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करते हुए उसे संतुष्ट किया जाये जिससे आईजीआरएस की मासिक रैंक में सुधार कर जनपद को अग्रणी स्थान प्राप्त हो सके।
7. आपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित अभियोगों के पैरवी की स्थिति की समीक्षा की गई एवं मॉनीटरिंग सेल प्रभारी को निर्देशित किया गया कि चिन्हित अभियोगों में शीघ्र-अतिशीघ्र प्रभावी पैरवी कराते हुए अधिक से अधिक अभियुक्तों को सजा दिलायी जाये।
8. पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल पर लंबित प्रार्थना पत्रों की समीक्षा।
9. लम्बित चरित्र सत्यापन/पासपोर्ट संबंधी प्रकरणों के संबंध में समीक्षा की गई एवं उपरोक्त सभी प्रकरणों में ध्यान केन्द्रित करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया ।

10.जनपदीय अभिसूचना तंत्र को सक्रिय कर समस्त प्रकार के प्रतिबन्धित संगठनों/अवैध शस्त्रों/कारतूसों/शराब/विस्फोटक पदार्थों/मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए सतर्क दृष्टि रखने हेतु निर्देशित किया गया।

11.सोशल मीडिया पर जातिगत/सांप्रदायिक/भ्रामक/अफवाह फैलाने वाली पोस्ट पर त्वरित विधिक कार्यवाही करने एवं उच्चाधिकारियों को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

12.ड्रोन की अफवाहों के कारण मॉबलिचिंग की घटनाओं व अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए करते हुए अफवाहों पर अंकुश लगाया जाये ।

13.भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लोकप्रिय एवं व्यापक बनाये जाने हेतु इनके संक्षिप्त नाम यथा बी0एन0एस0, बी0एन0एस0एस0 व बी0एस0ए0 का उपयोग न किया जाये । आम-नागरिकों के इनके बारे में जागरुक करने के लिये अभियान चलाये जायें।

14.आगामी स्वतंत्रता दिवस एवं कृष्ण जन्माष्टमी के दृष्टिगत जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पर्याप्त मात्रा में निर्धारित स्थान पर पिकेट लगाया जाये एवं पैदल गस्त/रात्रि गस्त कर आम-जनमानस को उनकी सुरक्षा के प्रति आस्वस्थ किया जाये।

15.महोदय द्वारा सभी थाना प्रभारियों के निर्देशित किया गया कि स्वतंत्रता दिवस के दृष्टिगत जनपद में आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत हर घर तिरंगा अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार कर लोगों को अपने-अपने घर पर तिरंगा फहराने के लिये जागरुक करते हुए अभियान को सफल बनाये जाये।

16.महोदय द्वारा थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि प्रतिदिन अपने-अपने थाना पर जन-सुनवाई करें एवं थाने पर आये फरियादियों को सम्मानपूर्वक बैठाकर उनकी समस्याओं को सुनकर न्यायोचित कार्यवाही कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाये।

पुलिस अधीक्षक महोदय ने सभी अधिकारियों और कर्मियों को जनता के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने, शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनपद में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।